

ARAI/COP-5/UTKAL/NDG-15/2526-AT9006

Dated: 23th Feb 2025

Cert	Annex	Drg	Total
1	0	0	1 pg

**CERTIFICATE
FOR
CONFORMITY OF PRODUCTION**

M/s Utkal Electronics
Plot No.-97/156/430, Khata no - 43/161,
Motiganj, Kasimabad, Sadar,
Balasore Odisha 756003

Based on the verification of documents and tests conducted on the 4 gas analyzer model 'NDG-15' manufactured and marketed by M/s Utkal Electronics, Odisha, bearing Sr. No. G-806, it is certified that the above 4 gas analyzer complies with the requirements of the Conformity of Production (COP) test approved by Ministry of Road Transport & Highways, Government of India, New Delhi, and specified in AIS 137 Part 8.

This Certificate covers 4 gas analyzer units produced during the period from 01st Mar 2023 To 28th Aug 2025.

The next COP testing should be completed on or before 28th Feb 2028 or production of next 200 4 gas analyzer units from 29th Aug 2025, whichever is earlier.

Disclaimer:

1. ARAI issues 'Conformity of Production (CoP) Certificates' for vehicles/ components/ parts/ assemblies etc. based on the documents produced and /or testing carried out on the selected sample(s) as per the provisions of specific rules.
2. Sample selection procedure is in compliance to Motor Vehicle Act/ Central Motor Vehicles Rules and their provisions as amended from time to time or any other statutory orders under which ARAI is authorised. Other Rules/ Acts are outside the purview/ scope of CoP.
3. Test/s on selected sample(s) is/ are carried out only on the parameters as covered under the specific procedures/ rules. Results of such tests are the property of bearer of CoP Certificate. These results cannot be disclosed unless specifically so ordered by Government, Court, etc.
4. Other parameters of the vehicles/ components/ parts/ assemblies etc. are outside the purview/ scope of CoP
5. The bearer of the CoP certificate is under obligation to ensure production strictly as per the provisions of the specific certificate.
6. ARAI is not responsible for ensuring manufacturing quality of the approved vehicles/ components/ parts/ assemblies etc.
7. ARAI is in no way responsible for any misuse or copying of any design/ type/ system in connection with entire vehicle/ components/ parts and assemblies covered under the CoP certificate.
8. Breach of any statutory provision of Indian laws or laws of other countries, will be the sole responsibility of the bearer of CoP certificate and ARAI shall not be liable for any claims or damages. The bearer shall alone be liable for the same, and shall undertake to indemnify ARAI in this regard.
9. ARAI has the right, but not under obligation, to initiate cancellation/ withdrawal of the certificate issued, in case of any fraud, misrepresentation, when it surfaces and comes in the knowledge of ARAI.

The appropriate local courts at Pune shall have the jurisdiction in respect of any dispute, claim or liability arising out of this certificate / Report.

Ref	Test Report No. ARAI/AED/20252026/3000050424/COP/2457	Dated 13 th Feb 2025
Previous Ref	Type Approval Certificate No. ARAI/TA(4G_RV)/UTKAL/NDG15/2021-AL9265	Dated. 25 th Nov 2020

AUTHORISED SIGNATORY

A. A. DESHPANDE
SR. DEPUTY DIRECTOR & HEAD
AUTOMOTIVE ELECTRONICS
DEPARTMENT, ARAI, PUNE
Place of Issue: Pune



A. A. BADUSHA
SENIOR DEPUTY DIRECTOR & HEAD
HMR, VEL, PLIC Department
ARAI, PUNE

Page 1 of 2

ARAI/COP-5/UTKAL/NDG-15/2526-AT9006

दिनांकित: 23 फ़रवरी 2025

Cert	Annex	Drg	Total
1	0	0	1 pg

उत्पादन की अनुरूपता हेतु प्रमाणपत्र

मेसर्स उत्कल इलेक्ट्रॉनिक्स
प्लॉट नंबर-137/359, तलंकसाही टाउन,
तलंक साही, बालासोर ओडिशा।
पिन-756003

किए गए परीक्षणों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स उत्कल इलेक्ट्रॉनिक्स, ओडिशा, द्वारा विनिर्मित एवं विपणित 4 गैस विश्लेषक मॉडल 'NDG-15' जिसका क्रमांक G-806 है, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) परीक्षण तथा एआईएस 137, भाग 8 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

यह प्रमाणपत्र दिनांक 01 मार्च 2023 से दिनांक 28 अगस्त 2025 तक की अवधि के दौरान उत्पादित 4 गैस विश्लेषक यूनिटों को कवर करता है।

अगला सीओपी परीक्षण दिनांक 28 फ़रवरी 2028 को या उससे पहले अथवा दिनांक 29 अगस्त 2025 से अगले 200 4 गैस विश्लेषक यूनिटों के उत्पादन, जो भी पहले हो, तक पूरा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

- एआरएआई प्रस्तुत दस्तावेजों और/या विशिष्ट नियमों के प्रावधानों के अनुसार चयनित नमूना(ओं) पर किए गए परीक्षण के आधार पर वाहनों/घटकों/पुर्जों/असेंबली आदि हेतु 'उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) प्रमाणपत्र' जारी करता है।
- नमूना चयन प्रक्रिया मोटर वाहन अधिनियम/केंद्रीय मोटर वाहन नियमों एवं समय-समय पर संशोधित उनके प्रावधानों या किसी अन्य वैधानिक आदेशों जिसके तहत एआरएआई प्राधिकृत है, के अनुपालन में है। अन्य नियम/अधिनियम सीओपी के कार्यक्षेत्र/विषय-क्षेत्र से बाहर हैं।
- चयनित नमूने(ओं) पर परीक्षण केवल विशिष्ट प्रक्रियाओं/नियमों के अंतर्गत आने वाले मापदंडों पर ही किया जाता है/जाते हैं। ऐसे परीक्षणों के परिणाम सीओपी प्रमाणपत्र धारक की संपत्ति हैं। इन परिणामों का तब तक खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार, न्यायालय आदि द्वारा विशेष रूप से ऐसा आदेश न दिया जाए।
- वाहनों/घटकों/पुर्जों/असेंबली आदि के अन्य पैरामीटर सीओपी के कार्यक्षेत्र/विषय-क्षेत्र से बाहर हैं।
- सर्वथा विशिष्ट प्रमाणपत्र के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन सुनिश्चित करना सीओपी प्रमाणपत्र धारक का दायित्व है।
- अनुमोदित वाहनों/घटकों/पुर्जों/असेंबली आदि की विनिर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एआरएआई जिम्मेदार नहीं है।
- सीओपी प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण वाहन/घटकों/पुर्जों एवं असेंबलियों के संबंध में किसी डिज़ाइन/टाइप/प्रणाली के किसी भी दुरुपयोग या नकल के संबंध में एआरएआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।
- भारतीय कानूनों या अन्य देशों के कानूनों के किसी भी वैधानिक प्रावधान उल्लंघन के लिए सीओपी प्रमाणपत्र धारक ही उत्तरदायी होगा तथा किसी भी दावे या क्षति हेतु एआरएआई जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केवल धारक ही उत्तरदायी होगा, और इस संबंध में एआरएआई के पक्ष में क्षतिपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध होगा।
- किसी भी धोखाधड़ी, गलत बयानी का मामला सामने आता है और यह एआरएआई के संज्ञान में आता है, तो एआरएआई के पास जारी किए गए प्रमाणपत्र को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार है, परंतु एआरएआई ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

इस प्रमाणपत्र/रिपोर्ट से संबंधित उत्पन्न किसी भी विवाद, दावे या दायित्व के संबंध में न्यायक्षेत्र पुणे स्थित उपयुक्त स्थानीय अदालत होंगे।

नोट/Note: सभी विधिक/कानूनी प्रयोजनों के लिए केवल अंग्रेजी पाठ का संदर्भ लिया जाए/ Only English Text to be referred for all Legal Purposes.

Ref	Test Report No. ARAI/AED/20242025/3000043269/COP/17 Dated 27 th Oct 2025
Previous Ref	Type Approval Certificate No. ARAI/TA(4G)/NAMAN/NAMTECH GA954/2021-AM9291 Dated. 15 th Feb 2021

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

ए. ए. देशपांडे
वरिष्ठ उप निदेशक एवं प्रमुख,
ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,
एआरएआई, पुणे



ए. ए. बडुशा
वरिष्ठ उप निदेशक एवं
प्रमुख, होमोलोगेशन प्रबंधन विनियमन एवं
वाहन सह सुरक्षा मूल्यांकन एवं ऑटो पीएलआई कक्षा,
एआरएआई पुणे

जारी करने का स्थान: पुणे

Page 2 of 2